न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम प्रकरण,
(अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 1), जोधपुर महानगर

पीठासीन अधिकारी : विक्रम सांखला, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 96 / 2024

पुलिस थाना : बाप

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण –

1–पप्पूराम पुत्र श्री सावताराम, उम्र 26 वर्ष, निवासी हरिसिंह नगर, अखाधन्ना, सेखासर, जोधपुर।

2–बचनाराम पुत्र श्री घमाराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी हरिसिंह नगर, अखाधन्ना, सेखासर, जोधपुर।

– बनाम –

अप्रार्थी –

राजस्थान राज्य।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द0प्र0सं0
प्र.सू.रि.सं. 96 / 2024 पुलिस थाना बाप,
अपराध अन्तर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम, 2003

उपस्थिति :

1–श्री विजय सांगेला, श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता, प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।

2–श्री नटवरलाल शर्मा, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

–: आदेश :– **दिनाँक : 24.06.2024**

1– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से जरिए अधिवक्ता जमानत का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के पेश हुआ, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रकरण से सम्बन्धित केस–डायरी तलब की गई।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.06.2024 को परिवादी देवीसिंह हाल सिक्योरिटी एरिया ऑफिसर अजुर पॉवर प्लांट अखाधना पुलिस थाना बाप जिला फलौदी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना, बाप पर इस आशय की पेश की कि Azure power thiry for Pvt. ltd Msedcl 130mw कम्पनी में 16.06.2024 को दोपहर करीब 1 बजे ICR No 06 के पास बचनाराम पुत्र गमाराम व प्पपुराम पुत्र सावताराम दोनों मिलकर डी.सी. केबल चोरी कर रहे थे। जब कम्पनी के कर्मचारियों ने इनको दोनों को चोरी करते देखा, तो तुरन्त सिक्योरीटी टीम को सूचना दी। सिक्योरीटी टीम को देखकर मोटरसाईकल लेकर भाग गए चोरो को भागते देख सिक्योरीटी टीम ने पुलिस

को सूचित किया। 8000 मीटर 6mm केबल चोरी हो गई। केबल चोरी पहले भी कई वार हुई इन दोनों की बहुत बड़ी टीम है। पहले भी कई बार चोरियां की, लेकिन पकड़ में नहीं आए.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध होकर वर्तमान में अन्वेषणाधीन है। अनुसंधान अधिकारी ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 136 विद्युत् अधिनियम, 2003 प्रमाणित पाया है।

3— प्रार्थना—पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

4— दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 16.06.2024 से पुलिस अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय के आदेशानुसार अपनी मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जावे।

5— विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन—पत्र का विरोध करते हुए खारिज करने का निवेदन किया।

6— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध केस डायरी पर उपलब्ध पूर्व में लम्बित आपराधिक प्रकरणों की सूची निम्नवत है :—

S.n.	FIR No./Date	Police Station	Section	Status
-NIL-				

7— उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध Azure power thiry for Pvt. ltd Msedcl 130mw कम्पनी की बेईमानीपूर्ण आशय से केबल चोरी कर ले जाने का आक्षेप है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 18.06.2024 से अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी तरह की कोई बरामदगी करना शेष नहीं है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ

प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8— परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **पप्पूराम** व **बचनाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 1,00,000/—रुपये का मुचलका व 50,000—50,000/—रुपये के दो जमानती, इस शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वे आईन्दा प्रत्येक तारीख पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे, बशर्ते उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो।

(विक्रम सांखला)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, संख्या—1
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

9— आदेश आज दिनांक **24.06.2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विक्रम सांखला)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, संख्या—1
जोधपुर महानगर, जोधपुर।